संख्या-54 /2021/559/71-3-2021-75/2014टीसी-2

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 06 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर के वेतन एवं अन्य आवश्यक व्ययों के वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2021-22/05, दिनॉक 05.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष एवं पूँजी लेखा पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थानों के वेतन आदि एवं आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार **कुल रू0 7711.26 लाख (रू0 सतहत्तर करोड़ ग्यारह लाख छब्बीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	लेखाशीर्षक	मद	धनराशि (रू0 लाख में)
1	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	2210-05-105-03-0344-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलोजिकल इंस्टीट्यूट	राजस्व पक्ष	5895.70
		4210-03-105-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलोजिकल इंस्टीट्यूट	पूँजी लेखा पक्ष 25-लघु निर्माण कार्य	5.00
2	जे0के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	2210-05-105-05-0501-जे0के0 इन्स्टीटयूट आफ रेडियोलाजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर	राजस्व पक्ष	1810.56
			योग	7711.26

1. स्वीकृत धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. वित्त (आय-व्यय) के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 के प्रस्तर-2(5) में उल्लिखित प्राविधानुसार विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त ही उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-54 /2021/559(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5. वित्त नियंत्रक, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजिकल इंस्टीटयूट कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-54/2021/559/71-3-2021-75/2014टीसी-2, दिनांक 06 अप्रैल, 2021 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष–**2021-22** अनुदान संख्या–**31**		(रू0 लाख में)
ब्योरेवार शीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	**2**	**3**
राजस्व लेखा–		
लेखाशीर्षक (13 अंको में)		
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–03–शिक्षा		
44–गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलोजिकल इंस्टीट्यूट		
01–वेतन	1176.81	1176.81
03–मंहगाई भत्ता	353.04	353.04
04–यात्रा व्यय	2.20	2.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15	0.15
06–अन्य भत्ते	9.50	9.50
07–मानदेय	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09–विद्युत देय	800.00	800.00
10–जलकर/जल प्रभार	150.00	150.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.60	2.60
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.50	1.50
13–टेलीफोन पर व्यय	0.60	0.60
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.00	12.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	70.00	70.00
18–प्रकाशन	0.40	0.40
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.70	0.70
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	250.00	250.00
29–अनुरक्षण	88.00	88.00
39–औषधि तथा रसायन	1452.00	1452.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवेश्यक सज्जा	6.60	6.60
41–भोजन पर व्यय	50.00	50.00
42–अन्य व्यय	330.00	330.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	514.25	514.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफटवेयर का क्रय	5.50	5.50
47–कम्प्यूटर अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.50	2.50
49–चिकित्सा व्यय	8.00	8.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	57.49	57.49
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	41.65	41.65
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	500.00	500.00
योग–(44)	**5895.70**	**5895.70**
05–अनुसंधान–		
01–जे0के0 इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च, कानपुर		
01–वेतन	652.19	652.19
03–मंहगाई भत्ता	195.66	195.66
04–यात्रा व्यय	0.50	0.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	33.00	33.00
08–कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09–विद्युत देय	145.00	145.00
10–जलकर/जल प्रभार	100.00	100.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.60	1.60
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.30	1.30
13–टेलीफोन पर व्यय	0.40	0.40
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00	2.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	12.00	12.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	100.00	100.00
18–प्रकाशन	0.60	0.60
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.60	0.60
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	100.00	100.00
29–अनुरक्षण	20.00	20.00
39–औषधि	272.25	272.25
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	6.60	6.60
41–भोजन पर व्यय	18.00	18.00
42–अन्य व्यय	3.00	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

43–सामग्री और सम्पूर्ति	30.00	30.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.15	2.15
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	0.30	0.30
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	25.00	25.00
57–प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	30.00	30.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50.00	50.00
योग–(01)	**1810.56**	**1810.56**
कुल योग–राजस्व	**7706.26**	**7706.26**
पूंजी लेखा–		
4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105– एलोपैथी–		
44–गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इंस्टीट्यूट		
25–लघु निर्माण कार्य–	5.00	5.00
कुल योग पूंजी लेखा	**5.00**	**5.00**
कुल योग–राजस्व+पूँजी–	**7711.26**	**7711.26**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।